

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 09 / 2025 राजस्व अपील

1. कैलाश चन्द मीना पुत्र बद्री मीना जाति मीना निवासी कालाखों तहसील बहरावण्डा जिला दौसा।

अपीलान्त

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बहरावण्डा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

( अपील विरुद्ध तहसीलदार बहरावण्डा निर्णय दिनांक 26.11.2018 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम कैलाश मु. नं. 423 / 2018 अ. धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति : श्री गोविन्द शर्मा अधिवक्ता अपीलान्त उपस्थित।

: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:- निर्णय :-

दिनांक: 23.05.2025

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि पटवारी हल्का कालाखो द्वारा एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा के समक्ष इस आशय की प्रस्तुत की गई कि ग्राम कालाखो के आराजी खसरा नम्बर 1125/1159 रकबा 0.20 है. किस्म चरागाह भूमि पर सम्वत 2075 में छप्पर व लोहे की थडी लगाकर अपीलान्त कैलाश चन्द मीना पुत्र बद्री मीना निवासी कालाखो तहसील बहरावण्डा जिला दौसा ने अतिक्रमण कर रखा है। जिस पर तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा कार्यवाही करते हुये प्रार्थी अपीलान्त को नोटिस जारी किये गये। अपीलान्त को उक्त नोटिस की व्यक्तिगत जानकारी नहीं हुई ना ही तामील हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही एक पक्षीय कार्यवाही कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जेर अपील पारित कर अपीलान्त को सिविल कारावास की सजा से दण्डित कर व लगान दर्ज कर 50 गुना शास्ति के जुर्माने की सजा आरोपित कर दी। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्त द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। तत्पश्चात् अधिवक्ता अपीलान्त एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्त ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जेर कानून नियम, उपनियम के खिलाफ होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को समुचित सुनवाई व साक्ष्य सबूत का का पूर्ण अवसर नहीं देकर निर्णय पारित किया है। अपीलान्त ने किसी भी चरागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है और भविष्य में भी अपीलान्त किसी प्रकार से रास्ता व सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं करेगा। पटवारी हल्का ने भी अपनी रिपोर्ट में अंकित नहीं किया है कि अपीलान्त ने रास्ते की भूमि पर किस प्रकार से अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का द्वारा गलत रिपोर्ट पेश की है, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित कर दिया है। पटवारी हल्का ने मनमर्जी से ही अपने कार्यालय में बैठकर ही झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस प्रकार से अपीलान्त को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही यह निर्णय पारित किया है। अपीलान्त द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्त शपथकर्ता का ग्राम कालाखो अम्बाडी में स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 1125/1159 रकबा 0.20 है. पर कोई कब्जा नहीं है यदि किसी प्रकार का कोई कब्जा होगा तो उसको अपीलान्त ने हटा लिया है एवं अपीलान्त भविष्य में किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं करेगा। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.11.2018 निरस्त फरमाया जावे।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्त ने सम्वत 2075 में ग्राम कालाखो तहसील बहरावण्डा स्थित गैर मुमकिन चारागाह भूमि खसरा नम्बर 1125 / 1159 रकबा 0.20 है. पर छप्पर व लोहे की थडी बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। अपीलान्त को विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा अपीलान्त अतिक्रमी के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर 90 दिन के सिविल कारावास की सजा व 50 गुना शास्ति से दण्डित किये जाने का निर्णय दिनांक 26.11.2018 पारित किया है। अतः अपील अपीलान्त खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा अपीलान्त का ग्राम कालाखो तहसील बहरावण्डा स्थित गैर मुमकिन चारागाह भूमि खसरा नम्बर 1125 / 1159 रकबा 0.20 है. पर छप्पर व लोहे की थडी बनाकर अतिक्रमण किये जाने पर धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। प्रश्नगत अतिक्रमण शुदा भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिये जाने के सम्बन्ध में अपीलान्त द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलान्त का प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 1125 / 1159 रकबा 0.20 है. ग्राम कालाखो अम्बाडी पर कोई कब्जा नहीं है। भविष्य में किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं करूंगा। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर ग्राम कालाखो तहसील बहरावण्डा स्थित गैर मुमकिन चारागाह भूमि खसरा नम्बर 1125 / 1159 रकबा 0.20 है. किस्म गैर मुमकिन चरागाह पर से अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र अनुसार अतिक्रमण हटा लिया जाना तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा सत्यापित किये जाने पर अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.11.2018 में से सिविल कारावास की सजा निरस्त की जाती है। बेदखली व पेनल्टी के सम्बन्ध में पारित शेष आदेश यथावत रहेगा। अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा सत्यापित नहीं किये जाने की स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.11.2018 यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ट अभिलेखागार की जावे।



सत्यमेव जयते

निर्णय आज दिनांक 23.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

( रामस्वरूप चौहान )

अति० जिला कलक्टर ,दौसा

( रामस्वरूप चौहान )

अति० जिला कलक्टर ,दौसा